मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम संख्या–02, आबूरोड ।

पीठासीन अधिकारी – **सुरेश कुमार (प्रथम)**
जिला न्यायाधीश संवर्ग

मोटरयान दुर्घटना दावा प्र. सं. 68/2022
सीआईएस संख्या – 42/2019

01– महेन्द्र कुमार धाची पुत्र हीरा उर्फ हीराराम, उम्र 26 वर्ष ।
02– भैराराम पुत्र हीरा उर्फ हीराराम, उम्र 25 वर्ष ।
निवासीयान डबानी तहसील रेवदर जिला सिरोही हाल लुनियापुरा आबूरोड जिला सिरोही ।

.....प्रार्थीगण

बनाम

01– वासुभाई पुत्र वक्ताभाई, उम्र 36 वर्ष, निवासी डीसा प्रताप चाली एस सी डब्ल्यू हाई स्कुल के सामने डीसा जिला बनासकांठा ।

(वाहन कार संख्या जीजे–8 एफ–2054 का चालक)

02– पोपटजी पुत्र मधरुप जी उम्र 50 वर्ष, पेशा व्यापार, निवासी हनुमान मंदिर रोड डीसा जिला बनासकांठा ।

(वाहन कार संख्या जीजे–8 एफ–2054 का पंजीकृत स्वामी)

03– नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिए उसके डिविजनल मैनेजर 12 रेजीडेन्सी रोड जोधपुर राजस्थान ।

(वाहन कार संख्या जीजे–8 एफ–2054 की बीमा कंपनी)

.....अप्रार्थीगण

''प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 166, 140 मोटर वाहन अधिनियम''
बाबत् क्लेम रूपये 54,60,000/–

उपस्थिति: –
01– श्री विपिन शर्मा , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
02– अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से एकतरफा कार्यवाही ।
03– श्री हर्ष कछवाह भंवर सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।
04– श्री विमल गोयल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से।

–––––

अ धि नि र्ण य **दिनांक –10.07.2026**

1– प्रार्थीगण/याचीगण की ओर से मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत अप्रार्थीगण/अयाचीगण के विरूद्ध यह याचिका बाबत दिलवाये जाने क्षतिपूर्ति राशि 54,60,000/– रूपये एवं ब्याज व खर्चा हेतु दिनांक 06.12.2018 को प्रस्तुत की गई। उक्त पत्रावली माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही के आदेश से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम संख्या 01, आबूरोड से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। जिसका विचारण पूर्ण होने पर एतदद्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2– याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.02.2016 को दोपहर करीब 2.30 बजे मृतक हीरा उर्फ हीराराम घांची व नारायण भीखाजी घांची डीसा से पालनपुर जाने वाले हाईवे रोड पर हनुमान मंदिर के पास से बस स्टेण्ड की तरफ पैदल–पैदल जा रहे थे कि डीसा से पालनपुर जाने वाले मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास डीसा की से अप्रार्थी संख्या 01 वासुभाई ने अपने इण्डिका कार संख्या जीजे–8 ए–2054 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर पीछे से मृतक के टक्कर मारी जिससे मृतक के चोटें आईं तथा दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृतक को ईलाज हेतु हॉस्पिटल ले गए जहां ईलाज के दौरान मृतक की दिनांक 29.11.2016 को मृत्यु हो गई । दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 की गलती व लापरवाही के कारण घटित हुई है ।

3– उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 22/2016 पुलिस थाना डीसा सीटी दक्षिण में धारा 279, 338, 337 तथा एम.वी.एक्ट. 177, 184, 134 में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान वाहन चालक अप्रार्थी सं० 1 के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत आरोप पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण मृतक के विधिक उत्तराधिकारी हैं जिनका यह अभिवचन रहा है कि मृतक दुर्घटना के पूर्व मजदूरी का कार्य करता था जिससे प्रतिमाह 12,000/– आय अर्जित कर लेता था। मृतक की आयु वक्त घटना 60 वर्ष की थी, उसकी दुर्घटना में मृत्यु के कारण प्रार्थीगण/याचीगण को क्षति कारित हुई । अंत में प्रार्थीगण ने आय व सम्पत्ति की क्षति में कुल 54,60,000/– रूपये एवं ब्याज व खर्चा दिलाये जाने का निवेदन किया।

4– अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस आहूत किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से याचिका का जबाव पेश कर याचिका के अधिकांश पदों में वर्णित अभिवचनों को जानकारी के अभाव में एवं गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए जबाव–स्वरूप अभिकथन किये कि दुर्घटना मृतक हिरा उर्फ हिराराम स्वयं हाईवे रोड के बीच बनी रोलिंग को तोडकर बिना दाएं–बाएं देखे रोड को क्रोस करने के कारण स्वयं की गलती से दुर्घना घटित हुई है । प्रार्थीगण मआवजा पाने के अधिकारी नहीं है । प्राथी ने 9 दिन बाद एफ.आई.आर. दर्ज कारवायी है । पुलिस से मेल–मिलाप कर क्लेम लेने के उद्देश्य से झुठे आरोप लगाकर झूठा आरोप पत्र पेश करवाया है जिससे प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करना फरमावे । मृतक हिरा उर्फ़ हिराराम की तथाकथित दुर्घटना में आयी चोटों के कारण मृत्यु नहीं होने एवं प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने के कारण तथाकथित दुर्घटना आरोप पत्र धारा 279ए, 337 338 आईपीसी के तहत न्यायालय में पेश होने के कारण उक्त धारा 304ए आईपीसी के तहत चालन पेश नहीं होने के कारण प्रार्थीगण मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं है। तथाकथित दुर्घटना भी पुलिस थाना डीसा जिला बनासकांठा गुजरात के क्षेत्राधिकार में हुई है उक्त स्थान भी श्रीमान अधिकरण के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में नंही है एवं प्रार्थीगण ने हाल आबुरोड तहसील में निवास करने का कोई प्रमाण प्रत्र श्रीमान अधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया है जिससे प्राथीगण का कलेम प्राथना पत्र श्रीमान अधिकरण प्रादेशिक क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज करना फरमावे। अंत में अप्रार्थी कंपनी के विरूद्ध याचिका हर्जे–खर्चे सहित खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5– अप्रार्थी संख्या 03 **बीमा कंपनी** की ओर से याचिका का जबाव पेश कर याचिका के अधिकांश पदों में वर्णित अभिवचनों को जानकारी के अभाव में एवं गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए जबाव–स्वरूप अभिकथन किये कि तथाकथित दुर्घटना मृतक हिरा उर्फ हिराराम दवारा स्वयं हाईवे रोड की रोलिंग के मध्य से तोड़कर बिना दाये–बाये देखे अचानक रोड पर निकलने के कारण मृतक स्वयं की गलती से दुर्घटना होने के कारण प्रार्थीगण मुआवजा पाने के अधिकारी नहीं है। दुर्घटना में वाहन कार संख्या जीजे–8 एफ–2054 लिप्त नहीं होते हुए भी प्रार्थीगण ने वाहन के चालक व स्वामी से मिलीभगत कर उत्तरदाता बीमा कंपनी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से तथाकथित दुर्घटना के 12 दिन पश्चात् सोच–समझ कर व मेल–मिलाप कर देरीना एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है एवं प्रार्थीगण ने पुलिस से भी मेल–मिलाप कर क्लेम लेने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगाकर झूठा

आरोप पत्र पेश करवाया है जिससे प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करना फरमावे । मृतक हिरा उर्फ हिराराम की तथाकथित दुर्घटना में आयी चोटों के कारण मृत्यु नहीं होने एवं प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने के कारण तथाकथित दुर्घटना का आरोप पत्र धारा 279, 337, 338 आई.पी.सी. के तहत न्यायालय में पेश होने के कारण व धारा 304 ए आई.पी.सी. के तहत चालान पेश नहीं होने के कारण प्रार्थीगण उत्तरदाता बीमा कंपनी से मुआवजा पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण श्रीमान अधिकरण के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में निवास नहीं करते है एवं तथाकथित दुर्घटना भी पुलिसथाना डीसा सिटी जिला बनासकांठा गुजरात के क्षेत्राधिकार में हुई है, उक्त स्थान भी श्रीमान अधिकरण के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में नहीं है एवं प्रार्थीगण ने हाल आबूरोड तहसील में निवास करने का कोई प्रमाण पत्र श्रीमान अधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया है जिससे प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र श्रीमान अधिकरण के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज करना फरमावे । वक्त दुर्घटना वाहन कार वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाये जाने के कारण एवं जिसकी जानकारी वाहन के स्वामी को होते हुए भी वाहन के स्वामी ने अपने वाहन के चालक को वाहन चलाने के लिए दिए जाने के कारण व बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उत्तरदाता मुआवजा अदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। श्रीमान अधिकरण कभी वाहन कार के चालक की भी गलती माने तो विकल्प में निवेदन है कि कंट्रीब्यूट्री ऑफ़ नेगलीजेन्स के आधार पर मुआवजा आयद करना फरमावे। अंत में अप्रार्थी बीमा कंपनी के विरूद्ध याचिका हर्जे–खर्चे सहित खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

6– उभय पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गयेः –

01– आया दिनांक 15.02.2016 को दोपहर 2.30 बजे करीब डीसा से पालनपुर जाने वाले मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास डीसा की तरफ से अप्रार्थी संख्या 01 वासुभाई ने अपने वाहन इण्डिका कार संख्या जीजे–8 एफ–2054 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर पीछे से टक्कर मारी जिससे मृतक के चोटे आयी तथा दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृतक को ईलाज हेतु हॉस्पिटल ले गए जहां ईलाज के दौरान मृतक हीरा उर्फ हीराराम की दिनांक 29.11.2016 को मृत्यु हो गई?

.....प्रार्थीगण

02– आया बीमा कम्पनी अपने प्रार्थना पत्र के जवाब व विशेष कथनों में उठाए एतराज के आधार मुआवजा अदा करने के लिए दायी नहीं है ?

.....अप्रार्थी संख्या 03

03– आया दुर्घटना में मृतक हीरा उर्फ हीराराम की मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण /अप्रार्थीगण से मुआवजा किस प्रकार और किससे कितना–कितना प्राप्त करने के अधिकारी है?

.....प्रार्थीगण

04– अनुतोष !

7– प्रार्थीगण की ओर से क्लेम याचिका के समर्थन में बतौर साक्षी ए.डब्ल्यू.1 महेन्द्र कुमार घांची, गवाह ए.डब्ल्यू.2 श्रीमती कला बेन के बयान अधिकरण के समक्ष लेखबद्ध करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 107 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये, इन साक्षीगण से अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा जिरह पूर्ण की गई।

8– बहस अंतिम सुनी । विद्वान अधिवक्ता याची ने याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराया और तर्कपूर्ण निवेदन किया कि घटना के रोज मृतक हीरा सडक किनारे पैदल –पैदल जा रहा था तभी इन्डिका कार संख्या जीजे–8 एफ–2054 के चालक वासुभाई ने कार को तेजगति व लापरवाही से चलाकर हीरा के टक्कर मारी जिससे लंबा इलाज चला और उक्त

टक्कर से आई चोटों के कारण हीरा की मृत्यु हुई । प्रार्थीगण मृतक के विधिक वारिसान हैं । कार के चालक के विरुद्ध दुर्घटना कारित करने बाबत आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है । प्रार्थीगण की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अप्रार्थी संख्या 01 की उपेक्षा एवं लापरवाही से साबित है अतः वांछित क्लेम दिलाया जावे ।

9– बहस के समर्थन में न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किए जो निम्न हैं–

1. **New Indian Assurance Co. Ltd VS L.Rs of Premlal & Ors.**

10– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया और तर्कपूर्ण निवेदन किया कि घटना के रोज मृतक हाईवे रोड के दोनों तरफ लगी लौहे जाली के बीच में से गुजरकर सडक पर आया व कार से टकराया जिसमें मृतक की स्वयं की लापरवाही थी । आगे तर्क रहा है कि मृतक के शरीर पर सामान्य चोटें थीं जिस बाबत उसे दिनांक 04.03.2016 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया तदोपरांत मृतक का कहीं ईलाज हुआ हो उसका कोई दस्तावेज अभिलेख पर पेश नहीं हुआ । प्रदर्श 103 चिकमगलूर कर्नाटक का जिसमें ना तो किसी ईलाज का विवरण है, ना ही दवाईयों का । उक्त दस्तावेज में हार्टअटेक आना लिखा हुआ है इस प्रकार मृतक की मृत्यु हार्टअटेक से हुई है ना कि दुर्घटना में आई चोटों से। मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया यदि पोस्टमार्टम करवाया होता तो सत्यता सामने आ जाती । मात्र क्लेम लेने के आशय से मिथ्या क्लेम प्रस्तुत किया । अतः क्लेम खारिज किया जावे । हमने बहस के समर्थन में न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किए जो निम्न है–

1. **Kalyani Mst. & Ors. VS Lalit Mohan Sharma & Ors.**

11– हमने बहस के तर्कों पर मनन किया । प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया । अभिलेख का अवलोकन किया । प्रकरण में कायम किए गए विवाद्यकों पर आई साक्ष्य का विवेचन व निष्कर्ष निम्न अनुसार है ।

विवाद्यक संख्या 01

12– इसमें प्रार्थीगण को साबित करना है कि आया **दिनांक 15.02.2016 को दोपहर करीब 2.30 बजे डीसा से पालनपुर जाने वाले मार्ग पर हुनमान मंदिर के पास डीसा की तरफ से अप्रार्थी संख्या 1 वासुभाई ने अपने वाहन इन्डिका कार संख्या जीजे–8 एफ–2054 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर पीछे से मृतक के टक्कर मारी जिससे मृतक के चोटें आयी तथा दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृतक की ईलाज हेतु हॉस्पीटल ले गये जहां ईलाज के दौरान मृतक हीरा उर्फ हीराराम की दिनांक 29.11.2016 को मृत्यु हो गई?**

13– **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर.2011 (सुप्रीम कोर्ट) (सिविल) 703, परमेश्वरी बनाम अमीरचंद** के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा–166/163 ए मोटर वाहन अधिनियम के मामलों में फौजदारी मामलों की तरफ युक्तियुक्त संदेह से परे मामला साबित नहीं करना होता है। मोटर वाहन अधिनियम के मामलों में प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर दुर्घटना की क्लेम याचिका में मामला साबित करना होता है।

14– उपरोक्त विवाद्यक के संदर्भ में अभिलेख पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रार्थीगण ने अपने क्लेम याचिका में दुर्घटना दिनांक 15.02.2016 को दोपहर 2.30 बजे डीसा से पालनपुर जाने वाले मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास घटित होना दर्शित किया है तत्पश्चात मृतक का सरकारी अस्पताल डीसा, सिविल अस्पताल पालनपुर, लॉयंस जनरल हॉस्पीटल मेहसाणा तथा चिकमगलूर व आबूरोड में ईलाज होना और अंततः दिनांक 29.11.2016 को दौराने ईलाज मृतक हीरा की मृत्यु होना कथन किया है । वक्त दुर्घटना

मृतक हीरा के साथ नारायण, भीखाजी, घांची का साथ होना दर्शित किया है । क्लेम याचिका में वर्णित उपरोक्त तथ्यों को साबित करने हेतु बतौर साक्षी ए .डब्ल्यू.01 महेन्द्र कुमार परीक्षित हुआ जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 15.02.2016 को दोपहर 2.30 बजे उसके पिता हीरा, नारायण जी व कला बैन के साथ डीसा पालनपुर हाईवे के पास सडक पर पैदल घूम रहे थे तब डीसा की तरफ से एक इन्डिका कार संख्या जीजे–8 एफ–2054 के चालक ने कार को तेजगति व लापरवाही से चलाकर उसके पिता के टक्कर मारी जिससे उसके पिता के गंभीर चोटें आई जिसे ईलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गए वहीं से पालनपुर ले गए तत्पश्चात लॉयंस जनरल हॉस्पीटल मेहसाणा ले गए जहां दिनांक 04.03.2016 तक भर्ती रखा जिसके पश्चात चिकमगलूर कर्नाटक में ईलाज हुआ और दिनांक 29.11.2016 को उसके पिता की दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई । आगे साक्षी प्रदर्श 01 से प्रदर्श 107 दस्तावेज प्रदर्शित करवाया जाना कथन करता है ।

15– प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी स्वीकार करता है कि मैं वक्त दुर्घटना पिता के साथ नहीं था इसलिए उसे दुर्घटना की जानकारी नहीं है । इस बात को भी सही बताता है कि दुर्घटना उसके पिता की गलती से हुई हो, उसे जानकारी नहीं हो । प्रदर्श 10 में सिंपल इन्जरी लिखा हो तो उसे जानकारी नहीं । आगे साक्षी इस बात को भी स्वीकार करता है कि उसके पिता को पालनपुर से मेहसाणा लेकर गए जिसका डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श 17 है जिसमें उसके पिता को दिनांक 04.03.2016 को डिस्चार्ज कर दिया था और घर ले आए थे । इस बात को भी सही बताया कि क्लेम प्रार्थना पत्र में उसके पिता के ईलाज का चिकमगलूर में भर्ती होने का नहीं लिखा था । प्रदर्श 103 रेफरल कार्ड के अलावा चिकमगलूर में ईलाज का कोई दस्तावेज, दवाइयां, बिल व पर्ची नहीं है और उसके पिता का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और इस बात को भी सही बताया है कि उसके पिता की मृत्यु ट्रोमा सेंटर आबूरोड में दिनांक 29.11.2018 को हुई ।

16– ए.डब्ल्यू.02 कला बैन का कथन रहा है कि दिनांक 15.02.2016 को दोपहर 2.30 बजे वह, हीराराम व नारायण भाई के साथ खाना खाकर सडक पर पैदल घूम रही थी तब प्रश्नगत कार चालक ने कार को तेजगति व लापरवाही से चलाकर हीराराम के टक्कर मारी जिसका ईलाज चला और दिनांक 29.11.2016 को हीराराम की मृत्यु हो गई । प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी इन सुझावों को सही बताती है कि उसने थाने पर रिपोर्ट नहीं की और नारायण ने भी थाने पर रिपोर्ट नहीं की । हीरा की मृत्यु चिकमगलूर कनार्टक में हुई थी । हीरा को ईलाज के बाद घर लेकर आ गए थे । यह बात सही है कि रोड पर डिवाईडर बना हुआ था उसकी लौहे की जाली लगी हुई थी, वह जाली से निकल रहा था तब दुर्घटना हुई थी ।

17– न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दुर्घटना कार चालक की उपेक्षा व लापरवाही से हुई या स्वयं मृतक की उपेक्षा व लापरवाही से हुई ? इस संबंध में क्लेम याचिका में हीराराम व नारायण का डीसा से पालनपुर जाने वाले हाईवे पर पैदल–पैदल जाना दर्शित किया गया है। क्लेम याचिका में कला बैन उनके साथ हो, इसका कोई कथन नहीं किया गया। ए.डब्ल्यू.01 के कथनानुसार हीरा, नारायण व कला बैन सडक किनारे पैदल–पैदल घूम रहे थे जबकि कला बैन ए.डब्ल्यू.02 के कथनानुसार दुर्घटनास्थल रोड पर डिवाईडर बना हुआ था जिस पर लौहे की जाली लगी हुई थी वह जाली से निकल रहा था तब दुर्घटना हुई थी अर्थात हाईवे के किनारे हाईवे पर आने से रोकने हेतु लगी हुई जाली में से मृतक ने निकलने का प्रयास किया और इसी प्रयास में वह प्रश्नगत कार से टकराया । इस बाबत कार चालक वासु भाई का बयान प्रदर्श 9 ए अभिलेख पर है जिसने कथन किया है कि दिनांक 15.02.2016 को वह अपनी इन्डिका कार लेकर डीसा बाजार से दुकान जा रहा था तब डीसा से पालनपुर हाईवे रोड पर पालनुपर जाने वाले वेलुनगर नाके के पास एक व्यक्ति रोड क्रोस करने जा रहा था वह अपनी साईड में था उसी दौरान रोड की जाली में से रोंग साईड में एक व्यक्ति उम्र अंदाजन 70 वर्ष उसकी गाडी से टकराकर रोड पर गिर गया । उक्त कथन ए.डब्ल्यू.02 श्रीमती कला बैन के बयान का अनुसमर्थन करता है जिसने स्पष्ट

कथन किया है कि रोड पर डिवाईडर बना हुआ था व लौहे की जाली लगी हुई थी, वह उस जाली से निकल रहे थे तब दुर्घटना घटित हुई अर्थात मृतक वक्त दुर्घटना हाईवे रोड पर आवागमन बाधित करने हेतु लगाई गई जाली में निकलकर अचानक रोड पर आया जिससे उक्त दुर्घटना घटित हुई अर्थात मृतक स्वयं लापरवाह रहा और उसकी लापरवाही के कारण उसके शरीर पर सामान्य चोटें आई जिसकी पुष्टि प्रदर्श 10 दस्तावेज से होती है । उक्त दस्तावेज में मृतक के शरीर पर साधारण चोट आना दर्शित किया गया है ।

18– न्यायालय के समक्ष दूसरा विचारण प्रश्न है कि क्या मृतक की मृत्यु दुर्घटना में आई चोट के कारण हुई ? उपरोक्त बिंदु के समर्थन में अभिलेख का अवलोकन करें तो प्रदर्श 10 दस्तावेज जो दिनांक 15.02.2016 का है जिसमें मृतक के शरीर पर सामान्य चोट होना दर्शित की गई है । प्रदर्श 12 में मृतक के सामान्य व गंभीर चोट होना दर्शित किया है । ए.डब्ल्यू.01 व ए.डब्ल्यू.02 दोनों ही साक्षीगण स्वीकार करते हैं कि मृतक को दिनांक 04.03.2016 को मेहसाणा हॉस्पीटल से डिस्चार्ज कर दिया था तत्पश्चात उसे घर लेकर आ गए । ए.डब्ल्यू.01 के कथनानुसार मृतक का ईलाज चिकमगलूर कर्नाटक में चला था परंतु अभिलेख पर चिकमगलूर कर्नाटक का एकमात्र दस्तावेज प्रदर्श 103 प्रदर्शित करवाया गया है । उक्त दस्तावेज में मृतक कब से कब तक ईलाजरत था, क्या–क्या दवाईयां दी गई व मृत्यु का क्या कारण रहा, ऐसा कोई विवरण नहीं है। मात्र यह अंकित है कि दस दिवस पूर्व हार्टअटेक आया था । उक्त दस्तावेज में दिनांक 01.04.2016 से 29.11.2016 की अलग पेन से प्रविष्टि की गई है अर्थात दिनांक 01.04.2016 से 29.11.2016 तक मृतक का चिकमगलूर में कोई ईलाज चला हो ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं आया । ए.डब्ल्यू.01 के कथनानुसार मृतक हीरा की मृत्यु ट्रोमा सेंटर आबूरोड में दिनांक 29.11.2018 को हुई थी वहीं ट्रोमा सेंटर आबूरोड का ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं हआ जिससे यह दर्शित हो कि मृतक की दुर्घटना में आई चोटों के कारण ही मृत्यु हुई हो जबकि ए.डब्ल्यू.02 कला बैन का कहना है कि हीरा की मृत्यु चिकमगलूर कर्नाटक में हुई थी । इस प्रकार स्वीकृत रुप से ना तो मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया और न ही ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर पेश किया गया जिससे यह साबित हो कि मृतक की मृत्यु का कारण दुर्घटना में आई चोटें रही हो ।

निष्कर्ष

19– प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं है कि दिनांक 15.02.2016 को अप्रार्थी संख्या 01 की उपेक्षा व लापरवाही से घटित दुर्घटना में आई चोटों के कारण हीरा उर्फ हीराराम की मृत्यु हुई हो अतः उपरोक्त विवाद्यक प्रार्थीगण की साक्ष्य से साबित होना नहीं पाया जाता, अतः प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02 व 03

20– चूंकि विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या 02 व 03 पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

अनुतोष– विवाद्यक संख्या 04

21– चूंकि विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है और क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के योग्य है ।

– आदेश –

22– परिणामतः प्रार्थी महेन्द्र कुमार की ओर से से अप्रार्थीगण वासुभाई व अन्य के विरुद्ध धारा 166,140 मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रस्तुत क्लेम याचिका एतद्द्वारा अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे । उपरोक्तानुसार पंचाट मुर्तिब किया जावे ।

(सुरेश कुमार–प्रथम)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
क्रम संख्या–02, आबूरोड

23– निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 10–07–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार–प्रथम)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
क्रम संख्या–02, आबूरोड